

विवरण

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार लोहरा को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के पिता - विश्वनाथ प्रधान द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम पालगुडा वर्ष 1975 का लगान एसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान विश्वनाथ प्रधान ने कोई भी लिखित बयान है कि उनके पास लगान एसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं दिया है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी II में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दक नई है। रा0उ0नि0 एवं अ0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम पालगुडा खाता न0 101 प्लॉट न0 117, 55, 2285 सर्वे खतियान में किस्म पानना, पंकज, मजदूर दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अ0नि0 ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुरांसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि लोहरा मांगता कां० पिता - राजनाथ मांगता कां० दाऊ मांगता के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>पालगुडा</u>	63	101	170, 17, 55, 2285 2285, 2285, 2110, 2285, 2285	3.75 <u>रकबा</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II (ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी का नियमितिकरण अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित
अंचल अधिकारी
बोकारो 11/2

अंचल अधिकारी
बोकारो 11/2